

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2002 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन.**-(1) राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से "डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर" होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबंध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रति किये गये किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उसके यथापरिवर्तित नाम से उस विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

3. **संशोधन.**-(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति से संशोधित हो जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

4. मूल अधिनियम का प्रोद्गरण.- मूल अधिनियम को डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 के रूप में प्रोद्दत किया जायेगा।

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

- धारा 1.-** उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- धारा 2.-** खण्ड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
"(ढ) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन गठित डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अभिप्रेत है;"।
- धारा 3.-** उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर" प्रतिस्थापित की जायेगी।
-

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। यह विश्वविद्यालय राज्य में प्रथम और देश में द्वितीय है। आयुर्वेद और संस्कृत परस्पर निकटतापूर्वक सम्बद्ध हैं। भारत के राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् संस्कृत और दर्शनशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् थे। उनका वैज्ञानिक, तर्कवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण हमारे देश के लिए एक धरोहर है। राष्ट्र और मानवता के प्रति उनके समर्पित जीवन के कारण उन्हें "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया था।

अतः संस्कृत और दर्शनशास्त्र में उनके योगदान को देखते हुए, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का नाम डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् विश्वविद्यालय, जोधपुर के रूप में परिवर्तित किया जाना उचित होगा।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

एमादुद्दीन अहमद "दूरू" मियां,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 है।

(2) से (3) XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) से (ड) XX XX XX

(ढ) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन गठित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ण) से (थ) XX XX XX

3. विश्वविद्यालय का निगमन.-(1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड और विद्या-परिषद् के प्रथम सदस्य और वे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता को धारण किये रहते हैं, "राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय" के नाम से इसके द्वारा एक निगमित निकाय का गठन करते हैं।

(2) से (4) XX XX XX

XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 28 of 2011

THE RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY

(CHANGE OF NAME) BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to change the name of the Rajasthan Ayurved University and to make certain amendments in the Rajasthan Ayurved University Act, 2002.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Ayurved University (Change of Name) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. Change of name of the Rajasthan Ayurved University.- (1) The name of the Rajasthan Ayurved University incorporated under the Rajasthan Ayurved University Act, 2002 (Act No. 15 of 2002), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be “The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur”.

(2) Any reference to the Rajasthan Ayurved University in any law for the time being in force or in any indenture, instrument or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

3. Amendment.- (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the Schedule.

(2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.

4. Citation of the principal Act.- The principal Act may be cited as The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002.

THE SCHEDULE
(See section 3)

Section 1.- In sub-section (1), for the existing expression “the Rajasthan Ayurved University Act”, the expression “the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act” shall be substituted.

Section 2.- For clause (n), the following clause shall be substituted, namely :-

“(n) '**University**' means the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur constituted under this Act;”.

Section 3.- In sub-section (1), for the existing expression “ 'The Rajasthan Ayurved University' ”, the expression “The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Ayurved University was established in the year 2002. This University is first in the State and second in the country. Ayurved and Sanskrit are closely interlinked. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, President of India was a renowned scholar of Sanskrit and Philosophy. His scientific, rationalistic and humanitarian approach is an asset for our country. He was honoured with “Bharat-Ratna” for his dedicated life to the nation and humanity.

Therefore, it would be appropriate to rename the Rajasthan Ayurved University as The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jhodhpur looking to his contribution in Sanskrit and Philosophy.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

ऐमादुद्दीन अहमद “दूरू मियां,”

Minister Incharge.

2011 का विधेयक सं. 28

**राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन)
विधेयक, 2011**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2002 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

सीताराम सोनवाल,
उप सचिव।

(श्री ऐमादुद्दीन अहमद 'दुरू मियां', प्रभारी मंत्री)

**THE RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY
(CHANGE OF NAME) BILL, 2011**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to Change the name of the Rajasthan Ayurved University and to make certain amendments in the Rajasthan Ayurved University Act, 2002.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

SITARAM SONWAL,
Deputy Secretary.

(Sh. Aimaduddin Ahmad 'Duru Miyan', **Minister-Incharge**)